

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

**सार्वजनिक सूचना सं. 41/2023**

**दिनांक: 14 फरवरी, 2024**

**विषय: दिनांक 31.08.2024 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस), 2022 के आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज के आयात के संबंध में।**

सा.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा 31.08.2024 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज के आयात की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं —

1. संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के संदर्भ में **31.08.2024 तक तरबूज के बीज का आयात 33,800 मीट्रिक टन (मी.ट.) से अधिक नहीं होगा और वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर अनुमत होगा।** तदनुसार डीजीएफटी इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से अधिकतम **22.02.2024** तक तरबूज के बीज के प्रतिबंधित आयात हेतु लाइसेंस के लिए निम्नानुसार नए आवेदन आमंत्रित करता है:

- i. एक आईटीसी के तहत तरबूज के बीज के आयात के लिए केवल एक आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- ii. आवेदनों पर वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर प्रोसेसरों के लिए केवल तरबूज के बीज के आधार पर ही विचार किया जाएगा।
- iii. प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाते हुए सार्वजनिक सूचना की तिथि पर या तिथि से पहले जारी किए गए वैध एफएसएसएआई विनिर्माता लाइसेंस आवेदन के साथ प्रदान करना अपेक्षित होगा। दिए गए एफएसएसएआई लाइसेंस में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि आवेदक एफएसएसएआई श्रेणी 4 (फल और सब्जियां, समुद्री शैवाल, और नट्स और बीज) के तहत एक विनिर्माता है। व्यापार, खुदरा बिक्री, थोक, पुनः पैकेजिंग, लेबलिंग उद्देश्यों के लिए जारी किए गए एफएसएसएआई लाइसेंसों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv. आवेदक को राजकोषीय वर्ष 2021-22, 2022-23, और 2023-24 (इस सार्वजनिक सूचना की तिथि तक) के लिए तरबूज के बीज (मी.ट. में) के आयात और अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाई में संसाधित किए गए संसाधित तरबूज के बीजों की मात्रा (मी.ट. में) को प्रमाणित करने वाला एक वैध चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र संसाधित तरबूज के बीजों की बिक्री से संबंधित मात्रा के साथ जीएसटी बीजकों की एक सूची सहित होगा। मसौदा प्रपत्र संलग्न अनुलग्नक-क पर देखा जा सकता है।
- v. आवेदक यह घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि आवेदन और सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र में केवल संसाधित तरबूज के बीजों का उल्लेख किया गया है और तरबूज के बीजों की किसी भी व्यापारी मात्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वचनपत्र हेतु मसौदा प्रपत्र संलग्न अनुलग्नक-ख पर देखा जा सकता है।

सं. सां०



2. तरबूज के बीज के आयात के लिए सभी आवेदनों का उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित कुल मात्रा के अंतर्गत, अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक के लिए आयात मात्रा एकिज़म सुविधा समिति (ईएफसी) की सहायता और सलाह पर, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.48 के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ईएफसी, आवेदनों की जांच के दौरान, विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखेगी, जिसमें वैध निर्माता एफएसएसएआई, वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक) के दौरान तरबूज के बीज का आयात और संसाधित मात्रा शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले आयातों का निर्धारण करने में, किसी भी पूर्व आवंटन जो मुकदमेबाजी (यदि कोई हो) के कारण लंबित हो सकता है, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा।

3. ईएफसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य मात्रा के आवंटन बनाए रखने हेतु आवंटित मात्रा (मात्राओं) के लिए न्यूनतम सीमा और/अथवा अधिकतम सीमा निर्धारित करेगी। प्रारंभिक यथानुपात आवंटन के बाद शेष मात्राओं (यदि कोई है) का शेष आवेदकों (यदि कोई है) को पुनः वितरित किया जाएगा। किसी भी समय पर जैसा उचित समझा जाए आवंटन प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार डीजीएफटी के पास सुरक्षित रहेगा।

4. सभी आवेदन दर्शाये गए पाथ, सेवाएं → इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम → इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट्स-एप्लाए फॉर न्यू ऑथोराइजेशन, अंडर इम्पोर्ट कैटेगरी एज 'वाटर मेलन/मस्कमेलन सीड्स' के तहत डीजीएफटी वेबसाइट पर जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य श्रेणी के तहत जमा किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

5. सभी संभावित आबंटिती यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उक्त आयात प्राधिकार-पत्र से जुड़ी आयात खेपें 31.08.2024 को या उससे पूर्व भारतीय पत्तनों पर पहुंचा दी जाएं।

6. आवेदक द्वारा किसी भी गलत घोषणा की स्थिति में, आवेदक को वर्तमान आयात आवंटन के लिए विचार करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और तदुपरांत दो (2) वर्षों की अवधि के लिए समान प्रकृति के किसी भी आवंटन में भागीदारी से वंचित कर दिया जाएगा।

#### इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) 12077090 के तहत तरबूज के बीजों पर प्रतिबंधित आयातों हेतु प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, दिनांक 31.08.2024 तक आयात हेतु वैध। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.02.2024 इस दिन के अंत तक है।

संतोष कुमार सांरगी  
14.2.2024

(संतोष कुमार सांरगी)  
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/53/8/डब्ल्यू-2/एम24/आईसी से जारी)

प्रोसेसिंग टर्नओवर को प्रमाणित करने हेतु दिए गए पीएन के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले  
सीए प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(सनदी लेखाकार फर्म के शीर्ष पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ..... जिसकी आईईसी सं. .... है, जो पता (पते) ..... स्थित है की लेखा पुस्तिका की जांच की गई है।

2. तदनुसार यह घोषणा की जाती है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले दो वित्तीय वर्षों में संसाधित तरबूज के बीज का कुल आयात एवं मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	तरबूज के बीज का आयात		संसाधित तरबूज के बीज की बिक्री	
	(मीट्रिक टनों में)	(भारतीय करोड़ रु. में)	(मीट्रिक टनों में)	(भारतीय करोड़ रु. में)
2021-22				
2022-23				
2023-24 (14.02.2024 तक)				

(यूडीआईएन): .....

सीए फर्म के भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

संसाधित तरबूज के बीजों हेतु जीएसटी बीजकों का विवरण

जीएसटी बीजक सं.	जीएसटी बीजक की तिथि	कि.ग्रा. में मात्रा	भारतीय रुपये में मूल्य
....			
कुल (2021-22)		[_____]	[_____]
....			
कुल (2022-23)		[_____]	[_____]
....			
कुल (2023-24)		[_____]	[_____]

---

सीए फर्म का भागीदार/निदेशक

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

**आवेदक फर्म द्वारा वचन पत्र का प्रपत्र**

(आवेदक फर्म के शीर्षपत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

**वचन पत्र**

मैं (निदेशक/भागीदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) मैसर्स ( \_\_\_\_\_ ) जिसकी आईईसी सं. \_\_\_\_\_ है जो पता (पते) \_\_\_\_\_ स्थित है यह घोषणा करते हैं कि –

1. सनदी लेखाकार जिनका यूडीआईएन \_\_\_\_\_ है के संदर्भ में और तरबूज के बीज हेतु आयात आवेदन के लिए डीजीएफटी के लिए ऑनलाइन आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि संसाधित तरबूज के बीजों हेतु प्रस्तुत विवरण सही है और इस संबंध में संसाधित मात्रा का स्वयं के परिसर में विनिर्माण किया है। तरबूज के बीजों हेतु किसी भी व्यापारी मात्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2. मैं घोषणा करता हूं कि सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र जिनका यूडीआईएन \_\_\_\_\_ है, मैं यथा उल्लिखित तरबूज के बीज के आयात का विवरण और डीजीएफटी के ऑनलाइन आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण सही है।

3. मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी गलत घोषण करने पर मैं वर्तमान आयात आवंटन हेतु विचारार्थ अयोग्य ठहराने के लिए पात्र रहूंगा और मुझे इस तरह के किसी भी आगामी आवंटन में सहभाग लेने हेतु दो (2) वर्षों की अवधि के लिए रोका जाएगा।

---

आवेदक फर्म के भागीदार/निदेशक/मालिक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_